भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र
उद्यान अनुभाग, इंदौर

सं. : आरआरकेट/निसेप्र/उद्यान/2023/05 | दिनांक – 28 नवंबर 2023

विषय – "राराप्रप्रौके, इंदौर के परिसर में जंगल सफाई हेतु चारा / ईंधन प्रजाति के पेड़ों की लकड़ी के निपटान का कार्य" संबंधित मोहरबंद दर सूची आमंत्रण सूचना का वेब साईट पर प्रदर्शन |

सन्दर्भ – मोहरबंद दर सूची आमंत्रण सूचना – आरआरकेट/उद्यान/ 2023/05, दिनांक 28.11.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत निविदा सूचना की प्रति राराप्रप्रौके वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु उपलब्ध है |

प्रमुख, उद्यान अनुभाग
भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए

भारत सरकार (w-4251)
परमाणु ऊर्जा विभाग
निर्माण एवं सेवा प्रभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

उद्यान अनुभाग

इंदौर
दूरभाष सं. – **0731 2488862**

सं. : आरआरकेट/उद्यान/2023/05 दिनांक 28-11 –2023

मोहरबंद दर-सूची आमन्त्रण विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आरआरकेट इंदौर के परिसर में जंगल सफाई हेतु चारा/ईंधन प्रजाति के पेड़ों की लकड़ी के निपटान का कार्य संपादित करने हेतु दिनांक 11-12-2023 (सोमवार) को दोपहर **3.30** बजे राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र के कार्यालय पर मोहरबंद निविदाएँ खोली जाएगी। इस हेतु इच्छुक निविदाकार उनकी मोहरबंद निविदा उसी दिन दोपहर **3.00** बजे कर तक लेखा कार्यालय में रखे हुए निविदा डिब्बे में डाल सकते हैं। नीलामी की शर्तें निम्नलिखित हैं :-

1. ठेकेदार को मोहरबंद निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में मात्र रू. **10000/-** (रूपए दस हजार मात्र) वेतन एवं लेखा अधिकारी, आरआरकेट के नाम से डीडी/एफडीआर/बैंकर्स चेक के रूप में जमा कराने होंगे।
2. पेड़ कटाई व ढुलाई/निकासी के लिए आरआरकेट परिसर क्षेत्र में गिरे हुए पेड़ समेत **500** (पांच सौ मात्र) मीट्रिक टन वजन की लकड़ी का अनुमानित भंडार है जो कि आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकता है जो आवश्यकतानुसार तय की जाएगी। कटाई हेतु प्रस्तावित पेड़ के तने गोलाई सभी समाहित होंगी जिनमें पतले तने की झाडियां भी सम्मिलित हैं। <u>प्रस्तावित पेड़ों की प्रजाति सुबबूल/बबूल प्रकार की होगी</u>। कार्य अवधि **12** माह (वर्षाकाल सहित) रहेगी जो की आवश्यकतानुसार घट / बढ़ सकता है।
3. ठेकेदार को मोहरबंद दरें प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से देना होगा जिसमें पेड़ो की कटाई/ढुलाई का खर्च का समावेश होगा।
4. ठेकेदार को मोहरबंद दरें देने से पूर्व अनुलग्नक' अ 'के अनुरूप, मदों पर विचार करके दरें निर्धारित करनी होगी।
5. लकड़ी के निकासी संबंधित कार्य जैसे सरकारी/अन्य सरकारी करों का भुगतान तथा सरकारी विभागों द्वारा परिवहन परमिट हेतु कार्यवाही सफल लकड़ी ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
6. कार्यक्षेत्र के निरीक्षण हेतु नीलामी से पूर्व किसी भी कार्यदिवस को पूर्वाह्न **10:00** बजे से अपराह्न **16:00** बजे तक प्रमुख (उद्यान अनुभाग), से संपर्क किया जा सकता है।

7. ठेकेदार को कार्य मिलने की स्थिति में कार्य हेतु स्वयं तथा मजदूरों को आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र से प्रवेश की अनुमति होगी।

8. मोहरबंद निविदा दर सूची से संबंधित अन्य जानकारी हेतु अनुलग्नक' अ 'प्रमुख, उद्यान अनुभाग, राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

9. मुख्य अभियंता, आरआरकेट के पास भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से यह अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताए किसी भी मोहरबंद दर सूची को या दर सूची के किसी भाग को अथवा इससे सम्बन्धित समस्त मोहरबंद दर सूचियों को रद्द कर सकते हैं।

10. आरआरकेट परिसर से चारा ईंधन/जलाऊ प्रजाति की लकड़ी का परिवहन वाहन में करने से पहले उस वाहन को कृषि वाली हरी जाली या पॉलिथीन शीट या तारपोलिन शीट से ढंकना होगा।

28/11/2023

मुख्य अभियंता, आरआरकेट
भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से

संलग्न – 1. अनुलग्नक – अ
2. नियम एवं शर्तें

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र
निर्माण एवं सेवा प्रभाग
उद्यान अनुभाग, इंदौर

अनुलग्नक अ

कार्य का नाम : आरआरकेट इन्दौर के परिसर में जंगल सफाई हेतु चारा ईधन प्रजाति के पेड़ों की लकडी निपटान का कार्य

सं. निआसु/आरआरकेट/एच/2023/05. दिनांक :२४/11/2023

नियम और शर्ते

1) निष्पादित किए जाने वाले कार्य के अंतर्गत पेड़ों की कटाई ढुलाई जिसमें सुबबूल बबूल प्रजाति के पेड झाडी जो कि सिर्फ जलाऊ उपयोगी होगी । निष्पादित पेड़ों की लकडी की अनुमानित मात्रा गिरे हुए पेड़ समेत वजन **500** (पांच सौ मात्र) मीट्रिक टन होगी जो घट या बढ सकती है । कटाई हेतु प्रस्तावित पेड के तने सभी समाहित गोलाई तक होगें जिसमें पतले तने की झाडियों की कटाई एवं निकासी जिसमें झुके हुए गिरे हुए सुखे पेड तने डालिया इत्यादि सम्मिलित है । ठेकेदार द्वारा बोली लगाते समय उपरोक्त मदों को घ्यान में रखकर दर देने होगे ।

2) कार्य को पूरा करने की अवधि प्रारंभ में **12** माह होगी जिसे कार्य की मात्रा के आधार पर आवश्यकतानुसार बढाया/घटाया जा सकेगा । कार्यदेशानुसार कार्य नियमित रुप/आवश्यकतानुसार करना होगा जिसकी समय समय पर सूचना दी जाएगी । अनियमित कार्य की स्थिति में कार्य निलंबन जैसी कार्यवाही की जा सकेगी ।

3) लकडी को हटाने के लिए किलोग्राम/मीट्रिक टन भार इकाई की अनुमति दी जाएगी जो वैध गेट के पास विभागीय स्केल मशीन पर होगी ।

4) ठेकेदार को आवश्यक संरक्षा मापदंडो को अपनाते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाए करनी होगी जैसे कटाई हेतु उपयोग में लाई जाने वाली मशीन / कार्य हेतु पर्याप्त कुशल मजदूर की

तैनाती तथा कटे हुए पेड़ों को परिसर के बाहर ले जाने हेतु परिवहन व्यवस्था हेतु चालक के पास उचित प्रकार के ड्रायविंग लायसेन्स होने की अनिवार्यता होगी । किसी भी स्थिति में उचित ड्रायविंग लायसेन्स न होने पर परिवहन हेतु स्वीकृति नही दी जावेगी ।

5) कटाई में पूरे पेड के भाग जैसे तना शाखा आदि शामिल है जिसकी निकासी प्रस्तावित है और केवल सुरक्षा आरआर केट द्वारा प्रमाणित वेध गेट पास के साथ मेन गेट से ले जाया जा सकेगा।

6) कार्यस्थल पर कार्य के लिए सफल ठेकेदार को स्वयं के साथ साथ कार्यरत श्रमिकों का पुलिस सत्यापन कराना होगा तथा परिचय पत्र से संबंधित कार्यवाही करनी होगी ।

7) ऐसी लकडी के परिवहन के दौरान ये ठेकेदार की जवाबदारी होगी कि वे वन विभाग / राजस्व विभाग मध्यप्रदेश सरकार से यदि आवश्यक हो तो पारगमन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करें और उन्हें स्वयं के व्यय पर सभी आवश्यक औपचारिकता पूरी करना होगी । इस संबंध में किसी भी मामले में आरआरकेट द्वारा कोइ भी अतिरिक्त प्रभार की प्रतिपूर्ति अथवा भुगतान नहीं किया जाएगा ।

8) सफल ठेकेदार को पुष्टि आदेश जारी होने के दस दिन की अवधि में अथवा पूर्व जो भी पहले रू **10000/-** मात्र की अग्रिम जमा राशि कराना होगी जो की निपटान पर नियमित की जाएगी ।

9) सफल ठेकेदार को लकडियाँ हटानें लिए अनुमानित लागत हेतु रू. **10000/-** की अग्रिम राशि लकडी हटाने के रिकार्ड की प्रस्तावित की गई दर के अनुसार दिन प्रतिदिन के आधार पर किग्रा/मीट्रीक टन के अनुसार अद्यतन किया जाएगा | किसी भी हालत में कोई भी लकडी को अग्रिम राशि के भुगतान किए बिना ले जाने की अनुमति नही दी जाएगी । अतएव ठेकेदार के हित में यह उचित होगा कि वे समय समय पर रू **10000/-** अथवा समकक्ष राशि जमा कराने की व्यापक व्यवस्था करें और उक्त अग्रिम राशि वेतन अथवा लेखा अधिकारी आरआरकेट इन्दौर के नाम डिमांड ड्राफट/बैंकर चेक के माध्यम से ही जमा कराना होगी ।

10) आरआरकेट भंडार में शनिवार और शासकीय अवकाशों को छोडकर सुविधाजनक कार्यालयीन समय पर सप्ताह में वजन कराने की व्यवस्था की जाएगी । वजन केवल ठेकेदार / विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही किया जाएगा । अवकाश के दिनों में लकड़ी कटाई कार्य करने की अनुमति रहेगी ।

11) सफल ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि रू **10000/-** को कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने तक सुरक्षा जमा राशि के रूप में मानी जाएगी। समयावधि तथा कार्य के असफलतापूर्ण प्रगति पर सुरक्षा राशि जमा राशि राजसात की जाएगी तथा कार्य निलंबित किया जा सकेगा। कार्यादेश के बाद अंतराल तक कार्य बाधित / बंद होने की स्थिति में जो कि **15** दिन होगा कार्य निलंबन सुरक्षा राशि जमा को राजसात किया जा सकेगा जिस पर ठेकेदार की सहमति होगी एवं विभाग द्वारा किया गया निर्णय बाध्य होगा।

12) कार्य के दौरान किसी सरकारी संम्पत्ति के नुकसान होने पर हर हाल में ठेकेदार को भरपाई करनी होगी, न करने की स्थिति में कार्य को बंद किया जा सकेगा और यह भरपाई उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि /अग्रिम राशि से समसयोजित की जाएगी।

13) किसी भी हालत में शाम **4:30** बजे के बाद लकडी हटाने की अनुमति नही दी जाएगी।

14) सफल ठेकेदार के संबंध में जमा धरोहर राशि को प्रतिभूति जमा के रूप में माना जाएगा जो कार्य के सुचारू रूप सें पूर्ण होने पर वापस कर दी जाएगी। तथापि असफल ठेकेदारों के संबंध में धरोहर राशि सफल ठेकेदार को कार्य आदेश जारी होने पर लौटा दी जाएगी।

15) सफल ठेकेदार की यह पूरी जिम्मेदारी होगी की वे कार्य के दौरान सभी सुरक्षा मापदंडो का पालन करें किसी दुर्घटना अथवा ऐसे किसी मामले के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

16) लकडी की कटाई /ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए तथा चोरी आदि रोकने के लिए कटी हुई लकडी की निगरानी के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा ऐसे किसी भी मामले के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

17) आरआरकेट परिसर से चारा ईंधन/जलाऊ प्रजाति की लकड़ी का परिवहन वाहन में करने के पहले उस वाहन को कृषि वाली हरी जाली या पॉलीथीन शीट या तारपोलीन शीट से ढंकना होगा।

28/11/2023

मुख्य अभियंता
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र इंदौर

28/11/2023

28/11/23

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र
निर्माण एवं सेवा प्रभाग
उद्यान अनुभाग

इंदौर - 452 013

Schedule 'A' / अनुसूची – अ
Sealed quotation / मोहरबंद दर-सूची

क्र. आरआरकेट/उद्यान/2023/05

दिनांक : 28/11/2023

	ईंधन लकड़ी का रेट प्रति मेट्रिक टन	
	अंकों में (रुपए)	शब्दों में (रुपए)
विषय –आरआरकेट इंदौर के परिसर में जंगल सफाई हेतु चारा ईंधन प्रजाति के पेड़ों की लकड़ी निपटान का कार्य जिसकी प्रस्तावित मात्रा गिरे हुए पेड़ समेत 500 (पांच सौ मात्र) मेट्रिक टन होगी । प्रस्तावित मात्रा सुबबूल / बबूल पेड़ की प्रजाति के अनुरूप तथा प्रत्यक्ष निकासी के समय घट बढ़ सकती है । (कार्य के लिए कुशल मजदूर, मशीन, संरक्षा का सामान लाने की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी । लकड़ी तौलने, परिवहन करने, परिवहन परमिट सरकारी /अन्य सरकारी करों का भूगतान एवं कचरे का व्यवस्थित तरीके से निष्पादन की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी ।) नोट – आरआरकेट परिसर से चारा ईधन/जलाऊ प्रजाति की लकड़ी का परिवहन वाहन में करने के पहले इस वाहन को कृषि वाली हरी जाली या पोलिथीन शीट या तारपोलिन शीट से ढंकना होगा ।		

(हस्ताक्षर मुद्रांक ठेकेदार)

नाम –

पता –

हस्ता/
Bule

उद्यान अनुभाग

इंदौर – 452 013

Schedule 'B' / अनुसूची ब

क्र. आ र आ र के ट / उद्यान / 2023 / 05.

दिनांक : 28/11/2023

विषय – आरआरकेट इंदौर के परिसर में जंगल सफाई हेतु चारा / ईंधन प्रजाति के पेड़ों की लकड़ी के निपटान का कार्य।

मद क्र.	विवरण	ठेकेदार को सामग्री देने की दर	आपूर्ति का स्थान
1.	शून्य	शून्य	शून्य

राजू जॉन 28/11/23

संलग्न 28/11/2023

; राजू जॉन
प्रमुख उद्यान अनुभाग